

फर्द अहकाम

अज अदालत-उपरवाण्ड अधिकारी, ~~सहायक कलेक्टर भीनमाल~~

वादी/प्रार्थी-

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

जिसा पुत्र गेबरा
 कृष्ण पुत्री हित
 शंदा श्री गणेशी भीनमाल
 प्रकरण संख्या 35/15 453 व 188 R.T. 19

छोटा वल्ड माना
 कृष्णा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/9/2015	<p>वादीगण के अधिकारी मदनसिंह शंदा उक्त वाद सेवत सेवकादा खात करी 20 मि 100 (या 3 मि 100) बिलगत खारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर ही प्रतिवादी गण जांचे सम्म लगे हैं। सिलता तारीख 5/10/2015 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर, भीनमाल</p>	<p>समाप्त 107 4/9/15</p>
5/10/15	<p>वादीगण के अधिकारी उपस्थित। प्रतिवादी 4 से पता फुल्लाना 85 म मालि पाह डुण ही प्रतिवादी 5 से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राप्त किया गया। सिलता तारीख 27/10/15 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर</p>	

तारीख
हुकम

नम्बर
अदालत
हुकम
में

6-8-18 व कुलाय फरीकेन हाजिर / आज अमान में एका डार में पधार हुए हैं कि जल तारीख 27-8-18 का पेश हो।

27/8/18 व कुलाय फरीकेन हाजिर / पाउ का क० 22 कलम जवाब पेश करने से अवसर माछो है एक अवसर दिया जा रहा है कि जल तारीख 10-9-18 को पेश हो।

10-9-18 पत्रावली आज पेश हुई। **सहायक कलेक्टर भीरवाल** वादी मय वादी वकील गैर हाजिर। प्रतिवादी वकील हाजिर वादी मय वादी वकील को अलग रक रक कर तीन बार अलग अलग अलग आवाज लगवाई मगर उपस्थित नहीं हुये अतः वादी का वाद प्रतिवादी का काउंटर कलम में खारिज किया जाता है। मिसेल प्रसल सुमार लोक नम्बर से कम हो।

31/3/22
कलम
को अलग
10/9/18
उक्त

**सहायक कलेक्टर
भीरवाल**